न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 199 / 2015

1 लतिफ आयु 48 साल पुत्र सदीक जाति मुसलमान चेजारा निवासी वार्ड नम्बर 35 मोहल्ला चेजारन झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 रूकसाना बानों पुत्री मंजूर जाति चेजारा मुसलमान निवासी पिपली चौक वार्ड नम्बर 2 कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं जरिये मुख्तयार मुस्तफा पुत्र करीम जाति व्यापारी मुसलमान निवासी पिपली चौक कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 जीवणी स्त्री मुस्लिम पुत्री स्व. अकबर
3 शाकरून स्त्री अकरम पुत्री स्व. अकबर जाति चेजारा मुसलमान निवासी पिपली चौक वार्ड नम्बर 2 कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 खातुन स्त्री मंजुर जाति चेजारा मुसलमान निवासी पिपली चौक वार्ड नम्बर 2 कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 सलीम पुत्र उस्मान गन्नी
6 जावेद पुत्र उस्मान गन्नी जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 35 मोहल्ला चेजारान कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7 नसरीन पुत्री उस्मान गन्नी स्त्री खलील अहमद जाति चेजारा मुसलमान निवासी भूत बावड़ी के पास झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
8 सबीना पत्नी अयूब
9 आसीफ पुत्र अयूब
10 हनीफ पत्रु सदीक जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 35 मोहल्ला चेजारान कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
11 मदीना स्त्री रफीक
12 तोफिक पुत्र रफीक
13 रसीद पुत्र रफीक
14 साजिदा पुत्री रफीक जाति चेजारा मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 35 मोहल्ला चेजारान कस्बा झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II, RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

15 मनोज कुमार पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी किसान कॉलोनी झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
16 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
17 नगर परिषद झुन्झुनूं जरिये आयुक्त नगर परिषद झुन्झुनूं।
18 उप पंजीयक झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2015
बमुकदमा उनवानी रूकसाना बानों बनाम जीवणी
वगै. दावा बाबत घोषणा रिकार्ड दुरूस्ती बंटवारा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 215/2014 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं

उपस्थिति :
1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमरसिंह , अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)

—निर्णय—

दिनांकः— 20/6/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 215/2014 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, बंटवारा व

स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 35/2 जिसके हाल खसरा नम्बर 120, 121 वाके कस्बा झुन्झुनूं का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 27.05.2015 से पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण नम्बर 3, 5, 7 से 9 व 11 से 16 व जवाब दावा अन्य प्रतिवादीगण अलावा प्रतिवादी नम्बर 10 मुर्कर होना स्पष्ट होता है। विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का उस रोज राजस्व अदालत में गये हुये होना भी स्पष्ट है। इकसे बावजूद मोहर लगाकर दी गई तारीख पेशी 19.08.2015 से आगे तारीख पेशी 27. 05.2015 दर्ज की जाकर तामील सम्यकरूप से होकर प्राप्त होना बताया गया है तथा मिसलगत आदेशानुसार दिनांक 1908.15 पुनः दर्ज किया गया है। उक्त आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि पत्रावली उक्त अनुसार जवाब दावा व प्रतिवादीगण की तलबी में मुर्कर थी। दिनांक 19.08.2015 को मोहर लगाकर तारीख पेशी 28.10. 2015 दिया जाना प्रकट होता है व तारीख पेशी दिनांक 28.10.2015 को भी मोहर लगाकर सभी प्रकरणों में तारीख पेशी 04.01.16 दी गई परन्तु प्रस्तुत प्रकरण की पत्रावली में तारीख पेशी का कोलम रिक्त छोड़ा हुआ है। मोहर में दर्ज अनुसार अभिभाषकगण विचारण न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे थे तथा उस रोज तारीख पेशी की कोमन नोटिस बोर्ड पर दी गई थी। परन्तु विचारण न्यायालय ने कोमन तारीख पेशी होने के बाद वादिया व उसके एजेन्टो के सम्पर्क कर वादिया से एक शिघ्र का प्रार्थना पत्र पत्रावली के रिकार्ड पर दुर्भावना से लिया। आदेशिका दिनांक 28.10. 2015 से प्रतिवादीगण नम्बर 1 जीवणी, नम्बर 2 साकरून व नम्बर 6 नसरीन के अगूंठा निशानियां लगवाई हुई होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 4, 6 की ओर से तारीख पेशी दिनांक 18.2.15 व 08.04.15 को वकालतनामा प्रस्तुत किये जाने के लिए अवसर चाहा जाना भी स्पष्ट होता है। प्रतिवादी नम्बर 10/अपीलान्ट की ओर से जवाब दावा व दस्तावेजात तारीख पेशी दिनांक 08.04.2015 को प्रस्तुत किया जाना प्रमाणित है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की जवाब

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

देही बन्द किये जाने का आदेश दिये जाने की कोई तुक नहीं बैठती। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 व 6 तो जवाबदेही बन्द किये जाने के रोज भी उपस्थित होना आदेशिका से प्रमाणित है फिर भी प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 6 की उपस्थिति के बाबत आदेशिका में खुलासा भी नहीं किया गया है। इस तथ्य से स्वयं विचारण न्यायालय की आदेशिका से विचारण न्यायालय की पीठासीन अधिकारी का वादिया से मिली भगत कर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 10 व अन्य प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस की गैर मौजूदगी अपने मनमाने ढंग व मर्जी से कार्यवाही कर समस्त कानून को ताक में रखकर निर्णय व डिक्री जेर बहस पारित किया जाना प्रमाणित होता है किसी भी प्रकार से विधिनुकुल नहीं होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा पत्रावली के रिकार्ड पर था। प्रकरण के शेष प्रतिवादीगण की तलबी व जवाबदेही के लिए विचाराधीन था। सभी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के बाद वादिया व प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान की ओर से साक्ष्यच ली जाकर व प्रति परीक्षण के समुचित अवसर दिया जाकर उसके बाद उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर विधिवत निर्णय किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया को ताक में रखकर अपनी मनमर्जी से शेष प्रतिवादीगण की जवाब देही बन्द कर व प्रतिवादी नम्बर 10/अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर विवाधक कायम न कर अपन मनमर्जी से कानून के प्रावधानों के विपरित अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 10 को बिना सुनवाइ का अवसर प्रदान किये विधि विरूद्ध अपना मनमाना निर्णय देते हुए अवैध रूप से वादिया का दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 4 व 6 की ओर से जवाब दावा के लिए अवसर चाहना अंकित किया गया है। इसी अंतिम पृष्ट पर दिनांक 09.10.2015 को वादिया रूकसाना द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि दिनांक 09.10.15 को विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका ड्रा नहीं की गई। न उक्त शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र के बाबत अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 10 को कोई नोटिस ही दिया गया व न उक्त प्रार्थना पत्र की कोई नकल दी जाकर सुनवाई का ही कोई अवसर दिया गया है। उक्त निर्णय जैर बहस के

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अवलोकन से ही यह पूर्णरूप से प्रमाणित हो रहा है कि विचारण न्यायालय की पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 10 की पीठ पीछे से वादिया से सांठ गांठ कर उससे शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र लेकर बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये व बिना पत्रावली का अवलोकन किये निर्णय जैर बहस अपने मनमाने तौर पर दिया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में दावा रेस्पोडेन्ट/वादी दिनांक 20.11.2014 को दर्ज हुआ है। दिनांक 19.12.2014 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए है। दिनांक 08.04.2015 को अपीलान्ट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत पत्रावली शेष पक्षकारों की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया के दिनांक 28.10.2015 को पत्रावली में शेष प्रतिवादीगण की जवाब देही बंद कर तनकी कायम किये बिना, प्रतिवादी/अपीलान्ट को साक्ष्य का सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर